

# कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक (राज.)

क्रमांक : स्था./2020/1/ 6247

दिनांक : 04/10/2020

## आदेश

कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक : 29/पी.आई./2020 दिनांक 01.10.2020 (प्रति संलग्न है) में सुझाए गए 4 मोड में से प्रथम मोड को अपनाते हुए दिनांक 05.10.2020 से 16.10.2020 तक इस न्यायक्षेत्र में स्थित जिला एवं सेशन न्यायालय, विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा.(अ.नि.) प्रकरण, टोंक, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, किशोर न्यायबोर्ड एवं अन्य मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालयों के आवश्यक कार्य सुनने व निपटाये जाने हेतु मुख्यालयवार निम्न न्यायालय खुले रहेंगे एवं इसके अतिरिक्त अन्य न्यायालय बंद रहेंगे, साथ ही माननीय उच्च न्यायालय से दूरभाष पर प्राप्त निर्देशानुसार न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, विशिष्ट न्यायाधीश, साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण (मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के न्यायालय उक्तानुसार अवधि के दौरान सम्पूर्ण कार्य दिवसों में खुले रहेंगे।

क्र.सं.	मुख्यालय का नाम	न्यायालय का नाम एवं ईमेल आईडी	दिनांक
1	टोंक	जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक dc-ton-rj@nic.in	05.10.2020 व 06.10.2020
2		विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा.(अ.नि.) प्रकरण, टोंक scst-ton-rj@hcraj.nic.in	07.10.2020 से 09.10.2020 तक एवं 12.10.2020
4		अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक adj-ton-rj@hcraj.nic.in	13.10.2020 से 16.10.2020 तक
		वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक cjm-ton-rj@hcraj.nic.in	05.10.2020 से 07.10.2020, 12.10.2020 व 13.10.2020
7		अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक acjm-ton-rj@hcraj.nic.in	08.10.2020, 09.10.2020, 14.10.2020 से 16.10.2020 तक
1	मालपुरा	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा adjmal-ton-rj@hcraj.nic.in	05.10.2020 से 16.10.2020 तक संपूर्ण कार्यदिवस
2		सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा cjjmmal-ton-rj@hcraj.nic.in	05.10.2020 से 07.10.2020 तक, 12.10.2020 व 13.10.2020
3		वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा acjmmal-ton-rj@hcraj.nic.in	08.10.2020, 09.10.2020, 14.10.2020 से 16.10.2020 तक
	निवाई	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई cjjmniw-ton-rj@hcraj.nic.in	05.10.2020 से 07.10.2020 तक, 12.10.2020 व 13.10.2020
1		वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई acjmnw-ton-rj@hcraj.nic.in	08.10.2020, 09.10.2020, 14.10.2020 से 16.10.2020 तक


*Handwritten signature*

	उनियारा	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा ejjmunni-ton-rj@hcraj.nic.in	05.10.2020 से 07.10.2020 तक, 12.10.2020 व 13.10.2020
1		वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा acjmunni-ton-rj@hcraj.nic.in	08.10.2020, 09.10.2020, 14.10.2020 से 16.10.2020 तक
1	देवली	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली ejjmdeco-ton-rj@hcraj.nic.in	05.10.2020 से 08.10.2020 तक
2		अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली acjjmdeco-ton-rj@hcraj.nic.in	09.10.2020, 12.10.2020 व 13.10.2020
3		न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली gndeco-ton-rj@hcraj.nic.in	14.10.2020, 15.10.2020 व 16.10.2020
1	टोडारायसिंह	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह cjjmtod-ton-rj@hcraj.nic.in	05.10.2020 से 16.10.2020 तक संपूर्ण कार्यदिवस
1	दूनी	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी cjjmdoo-ton-rj@hcraj.nic.in	05.10.2020 से 16.10.2020 तक संपूर्ण कार्यदिवस

सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व प्रेषित परिपत्र क्रमांक : 26/पी.आई./2020 दिनांक 19.09.2020 के दिशा-निर्देशानुसार कार्य करेंगे तथा ड्यूटी दिवस के अतिरिक्त कार्य दिवसों में बिना सूचना एवं पूर्वानुमति के मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे। साथ ही अध्यक्ष, कोरोना वायरस संकमण रोकथाम समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त परिपत्रों की पालना सुनिश्चित करें।

नोट :-

1. सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण दिनांक 05.10.2020 से 16.10.2020 तक प्रत्येक कार्य दिवस में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक : 26/पी.आई./2020 दिनांक 19.09.2020 में दिये गये एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।
2. पीठासीन अधिकारी अपने समक्ष प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रार्थना पत्रों का यथा संभव शीघ्र निस्तारण करेंगे।
3. किन्हीं कारणों से उपरोक्त में से किसी न्यायिक अधिकारी के उपलब्ध नहीं होने पर उनके लिंक अधिकारी कार्य करेंगे।
4. जिन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की उक्त अवधि में ड्यूटी नहीं लगी है वे कार्यदिवस में अपने निवास पर उपलब्ध रहेंगे तथा बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।
5. अवकाश दिवस में रिमाण्ड आदि सम्बन्धी कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुसार किया जावेगा।
6. सम्बन्धित पीठासीन अधिकारीगण दिनांक 05.10.2020 से 16.10.2020 तक कार्यदिवसों में अपने न्यायालय में पदस्थापित कर्मचारीगण में से कम से कम कर्मचारीगण की ड्यूटी रोटेशन में निर्धारित करेंगे।


  
 जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
 टोंक (राज.)

क्रमांक : स्था./2020/1/6248-6290

दिनांक : 04/10/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. आदेश पत्रावली
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टोंक
3. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, टोंक
4. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (सा.दं.प्र.) एवं मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, टोंक
5. विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा (अ.नि.) प्रकरण, टोंक
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक/मालपुरा
7. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक
8. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
9. अध्यक्ष, कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक
10. अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
11. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा/उनियारा/निवाई
12. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड, टोंक
13. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/मालपुरा/निवाई/उनियारा/देवली/टोडारायसिंह/दूनी
14. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली
15. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली
16. प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार/प्रतिलिपि/नजारत शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक
17. नोडल ऑफिसर, जिला स्तरीय कम्प्यूटर समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक
18. जिला कलेक्टर, टोंक
19. जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक
20. सहायक निदेशक, अभियोजन, टोंक
21. अधीक्षक, जिला कारागृह, टोंक/मालपुरा
22. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, टोंक/मालपुरा/निवाई/उनियारा/देवली/टोडारायसिंह/दूनी
23. कोर्ट मैनेजर/रीडर/वरिष्ठ मुंसरिम जिला न्यायालय, टोंक
24. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आदेश को जिला एवं सेशन न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
टोंक (राज.)